संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित भ्-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अन्देश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 2 एमबी तक की एक ही (सिंगल) पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल पासवर्ड के जिरए सुरक्षित न हो और डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही इसे अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3(iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 9 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-I के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में छूट के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) बेंचमार्क शारीरिक अक्षमता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (VIII) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के तौर पर नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट के दावे के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से की जाएगी। यदि कोई गंभीर विसंगतिया पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-! में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रमाण-पत्र जारी करने वाला अधिकारी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सिहत विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख दर्शाई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अन्रक्षित मैट्रिक्लेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण

विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म-कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 21 मार्च, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र के कॉलम 21(क) में उन पदों का विवरण दें जिसके लिए उन्होंने परीक्षा के लिखित भाग में अर्हता प्राप्त की है। यदि उन्होंने पदों की दोनों श्रेणियों के लिए अर्हता प्राप्त की है तो कॉलम 21(ख) में इन सेवाओं के लिए अपनी वरीयता क्रम को सूचित करें तािक नियुक्ति के समय उनके योग्यता क्रम को ध्यान में रखते हुए उनकी वरीयता पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके।

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई वरीयताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए आयोग द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

<u>परिशिष्ट-I</u>

(क)	भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वे	ħ
	उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-	

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	सुपुत्र/सुपुत्री* श्री
जो गांव/कस्बा*जिला/मंडल*-	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
के/की निवासी हैं और जाति/जनजाति [*] से	ो संबद्ध हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति* के रूप में मान्यता टी गई है :-	

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अन्स्चित जनजातियां) आदेश, 1950 @

संविधान (अन्सूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (प्नर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश. 1956 @

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुस्चित जनजातियां आदेश. 1959. अनुस्चित जातियां तथा अनुस्चित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम. 1976 द्वारा यथा संशोधित@

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश. 1962 @

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश. 1962 @

<u>संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @</u>

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश. 1967 @

<u>संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @</u>

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश,	<u>1968 @</u>			
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @				
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @				
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @				
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @				
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 19				
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम.				
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) आ				
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन				
संविधान (अनुस्चित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 20				
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश				
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनि				
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तिर				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं।				
	ग्राम/कस्बा*			
जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*				
जाति/जनजाति* से संबद्ध है जिसेमें मान्यताप्राप्त है, के पिता/माता* श्री/श्रीमती				
	का जारा प्रमाण-पत्र के आधार पर जारा कि			
जाता है।				
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी*और/या* उनका परिवार ः				
जिला/मंडल* राज्				
	हस्ताक्षर			
	**पदनाम			
	(कार्यालय की मोह			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*			
स्थान				
तारीख				
* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।				
@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।				
% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।				
नोट : यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" शब्दावली का अर्थ वही	होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20			
है।				
** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग	र्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची			
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्ट	टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम			
श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/† सब डिविजनल मजि	जेस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा			
असिस्टेन्ट कमिश्नर।				
† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का	ान हो)।			
(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजि	स्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।			
(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।				
(iv) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार	और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।			
(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन क	ज्रने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत वि			
जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।	•			
प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी*	सुपुत्र/सुपुत्री⁺ श्री/श्रीमती			
	के गांव/कस्बा* राज्य/संघ राज			
क्षेत्र*के/की निवासी हैं और				
अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यताप्राप्त है :-	3			
	या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भा			
सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का सं				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 163 में दिनांक 20.10.1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19.10.1994 का संकल्प सं.12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 88 में दिनांक 25.05.1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24.05.1995 का संकल्प सं.12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं.12011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं.12011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/13/97-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/99/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं.12011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं.12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं.12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं.12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं.12015/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं.12011/1/2001-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं.12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं.12011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं. 12015/15/2008-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं. 12015/13/2010-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं. 12015/05/2014-बी.सी.-II.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सीII।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-बी.सीII
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं020012/01/2017-बी.सीII ।
श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल*
के गांव/कस्बा* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह⁺ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के
का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक
14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-
स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है।
हस्ताक्षर
**पदनाम
(कार्यालय की मोहर)
राज्य संघ शासित क्षेत्र
स्थान
तारीख
* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।
@ जो लागू न हों उसे हटा दें।
(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत
आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रारूप।
3
वचनबंध
मैं मुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी
मैं
ग्राम/कस्बा/शहर जिला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
ग्राम/कस्बा/शहर
ग्राम/कस्बा/शहर जिला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993 के का.जा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में
ग्राम/कस्बा/शहर
ग्राम/कस्बा/शहर जिलाराज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
ग्राम/कस्बा/शहर
ग्राम/कस्बा/शहर
ग्राम/कस्बा/शहर
ग्राम/कस्बा/शहर

*'अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम हैं।

टिप्पणी 1: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सिहत) ठीक वहीं होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- टिप्पणी 2: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उसे राज्य जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- टिप्पणी 3 : आयोग, सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई सामुदायिक स्थिति में किसी आधार पर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।
- 8. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा के दिनांक 21 मार्च, 2018 के नोटिस के पैरा 3 (III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- नोट 1 :- जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति ही प्रस्तुत करनी होगी।
- नोट 2 :- उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 9. (i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को जम्मू व कश्मीर राज्य के उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यतः रहा हो या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक अविध के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रहा हो।
- (ii) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से नीचे दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ था।

उम्मादवार	द्वारी प्रस्तुत किए जीन वाल प्रमाण-पत्र की प्रपत्र निम्नानुसार है :-
प्रमाणित र्रि	केया जाता है कि सं रैंक श्री श्री
यूनिट	रक्षा सेवाओं में कार्य करते ह्ए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र" में फौजी कार्रवाई
	और ऐसी अक्षमता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।
3	हस्ताक्षर
	पदनाम
	दिनांक
*जो शब्द	लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।
(iii) कमीशन अधि	कारियों और ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिक कर्मी, जो आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, को
	ं से नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में, उनके मामले में लागू प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड
करनी चाहिए।	
	वृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का प्रपत्र
	- किया जाता है कि सं रैंक,
जिनकी जन्मतिथि -	है, ने से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में
से एक शर्त पूरी कर	
(क)	उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर निर्मुक्त ह्ए
	हैं, न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या निर्मुक्त किया गया है।
	वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण को निर्मुक्त हुए हैं ।
स्थान :	
तारीख :	
	सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक रैंक
नाम दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक
को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं।
स्थान
दिनांक
कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर
उक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा :-
<i>उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला</i> वचनबंध
मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह
नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मै
सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित
भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के
ग्राह्य लाओं का हकदार हूं।
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान
दिनांक
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर
लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अविध पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अविध पर हैं।
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम नाम क्या जाता है कि सं.
चह प्रमाणित किया जाता है कि स
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवाको पूरी कर ली है और अब वे
तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।
 सिविल रोज़गार हेत् उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपितत नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर
उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
कार्यालय की मोहर
स्थान
दिनांक
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों
दिनांक
दिनांक
दिनांक
दिनांक
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिहत) के मामले में :- थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :-
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिहत) के मामले में :- थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :- थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा।
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिहत) के मामले में :- थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :- थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा। नौसेना बी.ए.बी.एस., मुम्बई।
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिहत) के मामले में :- थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :- थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा। नौसेना बी.ए.बी.एस., मुम्बई। वायु सेना वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली।
दिनांक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सिंहत) के मामले में :- थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। (ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :- थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा। नौसेना बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

होगा। उन्हें परिशिष्ट-V/VI में दिये गए फार्मैंट में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी-। : आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार यह नोट कर लें कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./बंचमार्क विकलांगता/ पूर्व-सैन्यकर्मी संबंधी प्रमाण-पत्र सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले का [अर्थात् दिनांक 16.04.2018 से पहले का] होना चाहिए, जैसा कि परीक्षा नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

11. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी, जो नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट का दावा कर रहे हैं वे निम्नलिखित फार्म में कार्यालय/विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें :-

उम्मीदवारों दवारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण/केन्द्रीय भू-जल बोर्ड* में	कि स्थायी/अस्थायी पद पर कार्यरत हैं।	से
	हस्ताक्षर _	
	पदनाम _	
	मंत्रायल/कार्यालय _	
	कार्यालय की मोहर	

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

12. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2018 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां भैजनी अपेक्षित होंगी। उम्मीदवारों को सत्यापन/अंतिम प्रक्रिया (कार्रवाई) के दौरान मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों के एक सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।

- 13 जिन मामलों में ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों रहित या उपरोक्त में से कुछ अनुलग्नकों सिहत प्राप्त होंगे, उनमें उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 14. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।

<u>प्रपत्र - IV</u>

	अशक्त व्यक्तियों द्वारा अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र			
	[कृपया नियम 17(1) देखें]			
1.	नाम			
	(3प नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)			

2.		माता का नाम			
3.	जन्म तिथि _				
	•	नांक) (माह) (वर्ष)			
4.		ाय आयु :वर्ष			
5.	लिंग : पुरुष/म	हिला/ट्रांसजेंडर			
6.	पता :				
	(क) स्थायी	पता:			
	(ख) वर्तमान	ा पता (अर्थात पत्र-व्यवहार के लिए)			
5.	` '	ता (जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)			
0.	(i)	स्नातकोत्तर			
	(ii)	स्नातक			
	(iii)	डिप्लोमा			
	(iv)	हायर सेकेंडरी			
		हाई स्कूल			
	(vi)	मिडिल			
	(vii)	प्राइमरी			
	(viii)	अशिक्षित			
8.	` '				
9.		ह (i) (ii)			
10.	अशक्तता की				
11.		्र ' से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष से			
12.		कभी पूर्व में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही			
	(ii) यदि हां, तो विवरण दें :				
		प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है			
		न का परिणाम			
13.		र्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न			
	करें।	·			
घोषणा	: मैं एतदद्वारा	यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार			
		कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी			
		n/करती हूं कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई			
		या जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।			

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा मानसिक अशक्तता(मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

दिनांक :	:						
स्थान :							
<u>संलग्न</u> य	<u>ក :</u>						
1.	निवास व	न प्रमाण (जो लागू हो	कपया उसे चिनि	न्हत करें)			
	(क)	राशन कार्ड,	C	,			
	(ख)	मतदाता पहचान पत्र,					
	(ग)	ड्राइविंग लाइसेंस,					
		बैंक पासब्क,					
	(롱.)	पैन कार्ड,					
	(पासपोर्ट,					
	(ভ)	टेलीफोन, विद्युत, जल	न और अन्य उप	भोज्य बिल 1	जिसमें आवेत	इक का पता	लिखा हो,
	(ज)	•					ा संबंधित पटवारी अथवा
		किसी सरकारी स्कूल	के हैडमास्टर द्वा	ारा जारी निव	ास प्रमाण प	गत्र,	
	(鉙)	अशक्त, निराश्रित, म	निसिक रोग, आ	दि से ग्रस्त	व्यक्तियों व	के लिए निव	गस संस्थान के मामले में
		ऐसे संस्थान के प्रमुख	से निवास प्रमाप	ग पत्र।			
2.	पासपोर्ट	आकार के दो नवीनतम					
			(केवल कार्याल	य उपयोग वे	· ਜਿए)		
दिनांक :	:			जारी करने	ं वाले प्राधिव	नारी के हस्त	गक्षर
स्थान :				मोहर			
			<u>प्र</u> प	<u> नत्र - V</u>			
			अशक्त	ता प्रमाण पत्र	г		
((अंगच्छेदन	या अंगों के पूर्ण रूप	से स्थायी पक्षाघ	ात के मामले	में और दृ	ष्टहीन व्यवि	त्तयों के मामले में)
		·	[कृपया नि	यम 18(1) टे	‡खें]		
		(प्रमाण पत्र जा	री करने वाले चि	कित्सा प्राधि	कारी का ना	म और पता)	
							अशक्त व्यक्ति
							का पासपोर्ट
							आकार का
							सत्यापित वर्तमान
							फोटो (केवल चेहरा
							दर्शाया हो)
							दशाया हा)
प्रमा	ण पत्र सं.			दिनांक	:		
	प्रमाणित	किया जाता है कि मैंव	ने श्री/श्रीमती/कुम	ारी			पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
		-	नन्म तिथि		आय्	<u> </u>	वर्ष, पुरूष/महिला
			(दिनांक /			•	Č
पंजीकरण	ग सं		स्थार	ी निवासी	मकान व	नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट
							_ और जिनका फोटोग्राफ
		है, की ध्यानपूर्वक जांच न रोग से ग्रस्त हैं:	य कर ली है और	में संतुष्ट ह	कि :		

चलने में असमर्थ बौनापन(ड्वार्फिज्म) • दृष्टिहीन (जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें) (ख) उनके मामले मेंनिदान है। (ग) दिशा-निर्देशों के अनुसार (_____दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उन्हें _____% (अंकों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) उनके_____(शरीर के अंग) के संबंध में स्थायी तौर पर चलने में अक्षमता/बौनापन(ड्वार्फिज्म)/दृष्टिहीनता है। आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नितिखित दस्तावेज प्रस्तृत किया है:-दस्तावेज की प्रकृति जारी करने की तारीख प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर) उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। <u>प्रपत्र -VI</u> अशक्तता प्रमाण पत्र (एकाधिक अशक्तता के मामले में) [कृपया नियम 18(1) देखें] (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो) प्रमाण पत्र सं. दिनांक : प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _______ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि ____ ___ आयु ____ वर्ष, पुरूष/महिला ____ (दिनांक / माह / वर्ष) पंजीकरण सं._____ स्थायी निवासी मकान नं. ____ वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट __ डाकघर _____ जिला ____ राज्य ____ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि (क) वह एकाधिक अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार (..........दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है: अशक्तता शरीर का प्रभावित अंग निदान स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ क्रम सं. मानसिक अक्षमता (% में)

@

चलने में असमर्थ

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

1.

2.

3.	कुष्ठ उपचारित			
	(लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीडि़त			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी			
	विशिष्ट अशक्तता			
	(स्पेसिफिक लर्निंग			
	डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			
	डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग			
	(क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल			
	कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			
(ख) उ	परोक्त के मद्देनजर, निर्धारित	। दिशा-निर्देशों के अनुसार	(दिशा-वि	नेर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए
जाने की	तारीख का विशेष रूप से उल	लेख किया जाए), उनका	प्तमग्र शारीरिक दौ	र्बल्य निम्नानुसार है:-
आंकड़ों व	ਸੇਂ :	_ प्रतिशत		
शब्दों में	:		_ प्रतिशत	
2.	इस स्थिति के आगे और ब	इने/न बढ़ने/स्थिति में सुध	ार होने/सुधार न ह	ोने की संभावना है।
3.	अशक्तता का पुन: आकलन	:		
	(i) आवश्यक नहीं है,			
	अथवा			
			परांत और इसलिप	र यह प्रमाण पत्र
	तक के लिए वैध रहेगा			(दिनांक) (माह) (वर्ष)
@	उदाहरण बायां/दायां/दो			
#	उदाहरण एक आंख/दो			
£	उदाहरण बायां/दायां/दो	नों कान		

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
		का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र -VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) (कृपया नियम 18(1) देखें)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.	दिनांक :	
प्रमाणित किया जाता है कि मे	नैंने श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
	जन्म तिथि	_ आयु वर्ष, पुरुष/महिला
	(दिनांक / माह / वर्ष))
पंजीकरण सं	_ स्थायी निवासी मकान नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट
डाकघर जिला	राज्य	और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया
है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और	मैं संतुष्ट हूं कि वह	अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी
शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा वी	ने प्रतिशततता को दिशा-निर्देशों के	5 अनुसार (दिशा-निर्देशों की संख्या
और इन्हें जारी किए जाने की तारीख	_{का} विशेष रूप से उल्लेख किया जा	rv) आकलित किया गया है और नीचे तालिका
में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया ग	या है:-	

क्रम	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/
सं.				मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित			
	(लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीडि़त			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी			
	विशिष्ट अशक्तता			
	(स्पेसिफिक लर्निंग			
	डिजेबिलिटी)			

12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
	डिजॉर्डर
13.	मानसिक व्याधि
14.	पुराने तंत्रिका रोग
	(क्रॉनिक
	न्यूरॉलॉजिकल
	कंडीशन्स)
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस
16.	पार्किसन्स रोग
17.	हीमोफीलिया
18.	थैलेसीमिया
19.	सिकल सेल रोग

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

- 2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।
- 3. अशक्तता का पुन: आकलन :
 - (i) आवश्यक नहीं है,

भथवा

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षोंमाह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र (दिनांक) (माह) (वर्ष)

- @ उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर
- # उदाहरण एक आंख/दोनों आंख
- € उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान
- 4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तृत किया है:-

		3
दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
		का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र -VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना] (कृपया नियम 18(4) देखें)

सं दिनांक :
सेवा में,
(अशक्तता प्रमाण पत्र के आवेदक का नाम और पता)
विषय: <u>अशक्तता प्रमाण पत्र हेत् आवेदन की अस्वीकृति</u> ।
महोदय/महोदया,
कृपया दिनांक के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:
2. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में दिनांक को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा परीक्षण किया गया और मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो पाया है:
(i) (ii) (iii)
3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं।
भवदीय,
(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION COMBINED GEO-SCIENTIST AND GEOLOGIST EXAMINATION, 2018 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a single pdf file up to 2 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 9 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 21st March, 2018.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being Persons with Benchmark Disability, wherever applicable.
- (VIII) Scanned copy of the certificate in support of claiming age relaxation as persons employed in the GSI and CGWB under Rule 8(c), wherever applicable.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should submit in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the website www.upsc.gov.in.
- 5. A candidate must enclose along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must submit in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be

6. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 21st March, 2018. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

7. Candidates are required to indicate in column 21(a) of the application form the posts for which they have qualified on the result of the written part of the examination. In case they have qualified for both the categories of posts they should indicate their order of preference for these Services in column 21(b) so that having regard to the rank in order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

Appendix - I

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled (A) Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter* of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under :the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@.

las amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002.@
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have
migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate
issued to Shri/Shrimati* — Father/mother of
Shri/Shrimati/Kumari*— of village/town*— in District/
Division*— of the State/Union Territory*— who belongs to the— caste/tribe* which is recognised as a Scheduled
the—caste/tribe* which is recognised as a Scheduled
Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of ———————————————————————————————————
by the dated
% 3. Shri/Shrimati/Kumari* — and/or* his/her* family ordinarily
reside(s) in village/town*— of — District/Division* of the State/Union
Territory* of ———
Signature
**Designation
(With Seal of Office)
State/Union Territory*
Place:
Date:
*Please delete the words which are not applicable.
@Please quote specific Presidential order.
% Delete the paragraph which is not applicable.
NOTE: The term "Ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC
Certificates.
(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy
Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary
Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra
Assistant Commissioner.
†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency
Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally
resides.
(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates
applying for appointment to posts under the Government of India.
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
son/daughter* of Shri of village/town* in
District/Division* of the State/Union Territory* belongs
to the Community which is recognised as a backward class
under:
@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC (C) dated
10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1,
No. 186 dated the 13th September, 1993.
@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated
19.10.94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated
20.10.1994.
@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated
24.5.95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated the 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated the 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 151 dated the 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12th March, 2007.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 232 dated the 18th August, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 257 dated the 8th December, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23rd January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27^{th} May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27^{th} May, 2015.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22nd December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22nd December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.

Snri/Snrimati/Kumari*	ar	na/or" i	nis/ner" i	amny	oraina	arny
reside(s) in village/town*	o	of Dist	trict/Divi	sion*	of	the
State/Union Territory* of						
This is also to certify that he/she* does not	belong t	to the pe	ersons/se	ctions	* (Crea	amy
Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to	the Gov	vernmen	it of India	, Depa	ırtmen	it of
Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93	-Estt. (SCT) da	ated 8-9-	1993	O.M.	No.

Signature.....*

**Designation.....

(with seal of Office) State/U.T.

Place......
Date.....

@Strike out whichever is not applicable.

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

TIMDEDTAZINO

UNDERTAKING
I son/daughter of Shri
resident of Village/Town/City District State/UT
hereby declare that I belong to the community which is recognized
as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services
as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Memorandum
No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to
persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the above
referred Office Memorandum dated 08.09.1993 and O.M.No.36033/3/ 2004-Estt. (Res.)
dated 9.3.2004 and 14.10.2008 and O.M. No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May
2013 as amended from time to time.

Signature	 	
Name of the Candidate	 	
Roll No	 	

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

^{*}Please delete the words which are not applicable.

- **Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.
- **Note 1:** Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.
- **Note 2:** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 3:** No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission
- 8. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 21st March, 2018 for the Examination available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- Note 1:- A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT A SCANNED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.
- Note 2:-CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.
- 9. (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- (ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

the form of certificate to be produced by the candidate is:—
Certified that No.—— Rank————————————————————————————————————
——— was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a
foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.
Signature
Designation
Date
*Strike out whichever is not applicable.
(iii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age
concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the
form prescribed below, from the authorities concerned.
(A) Form of certificate applicable for Released/Retired personnel.
It is certified that No Rank Name whose
date of birth is has rendered service from to in Army/Navy/Air
Force and he fulfils ONE of the following conditions—
(a) Has rendered five or more years military service and has been released on
completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on
account of misconduct or inefficiency.
(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service
or on invalidment on
Station:

Name and Designation of the Competent Authority SEAL

(B) Form of certificate for serving personnel (Applicable for serving personnel
who are due to be released within one year).
I hereby certify that, according to the information available with me No
serving in the Army/Navy/Air Force from and is due to complete the
specified term of his engagement with the Armed Forces on the date
Place:
Date:
Signature of Commanding Officer
Office Seal
Candidates furnishing certificate B as above will have to give the following
undertaking:—
Undertaking to be given by the candidate:
I understand that if selected on the basis of the Recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary
evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly
released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits
admissible to ex-servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central
Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.
Signature of candidate
Place:
Date:
(C) Form of Certificate applicable for serving ECOs/SSCOs who have already
completed their initial assignment and are on extended assignment.
It is certified that No
2. He has already completed his initial assignment of five years on
is on extended assignment till
3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on
three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.
Station:
Date:
Name and Designation of the
Competent Authority SEAL
Authorities who are competent to issue certificate are as follows:—
(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.
Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.
Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.
Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
(b) In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.
Army—By various Regimental Record Offices.
Navy—BABS, Bombay.
Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi. 10. A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall
be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule
21 of the Rules for the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination, 2018. He/she
must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form V / Form VI issued by
notified Medical Authority of the Central/State Government.
NOTE I: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A
CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY WILL BE
CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH
PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY,
AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE
REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE COMBINED GEO-SCIENTIST AND GEOLOGIST EXAM TO CANDIDATES BELONGING TO THE
GEO-SCIENTIST AND GEODOGIST EARIN TO CAMPIDATES DEDUNGING TO THE

Note II: Candidates should note that their SC/ST/OBC/Persons with Benchmark Disability/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for the Combined Geo-Scientist and Geologist Examination, 2018 [i.e. prior to 16.04.2018] as prescribed in the Rule 23 of the rules for the examination.

11. Persons employed in the Geological Survey of India, and Central Ground Water Board, claiming age relaxation under Rule 8(c) should upload a scanned copy of a certificate from Head of their Office/Department in the following form:—

certific	cate from Head of their Office/Department in the following form:—
	Form of Certificate to be produced by Candidates
	ertified that Shri/Shrimati/Kumari* holds a
	nent/temporary* post of in the Geological Survey of India/
Centra	al Ground Water, Board* w.e.f
	Signature
	Designation
	Ministry/Office
	Office Stamp
*Strike	e out whichever is not applicable.
	2. The candidates should note that their candidature for the Combined Geo-Scientist
	eologist Examination, 2018 will be purely provisional, subject to their satisfying the
	ibed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the
	nation it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their
	lature for the examination will be cancelled by the Commission.
	Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to
	d scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the
	e application as and when demanded by the Commission. The candidates are
	ed to produce the original certificates at the time of verification/final processing.
	Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview
	long with a set of self certified documents.
	3. Any application filled online without uploading scanned copies of all or some of
	ocuments as mentioned above will entail cancellation of candidature. Any missing ures sent subsequently by the candidate will not be entertained.
_	4. In all communications with the Commission regarding this application, the
	late should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number,
Regist	ration I.D. (11 digits) and date of birth.
	FORM- IV
	Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities
	[See rule 17(1)]
(1)	Name :
	Name : (Surname) (First Name) (Middle Name) Father's Name : Mother's Name: Date of Birth : / (Name)
(2)	Father's Name : Mother's Name:
(3)	Date of Birth:/
	(Date) (Month) (Year)
(4)	Age at the time of application: years
	Sex: Male/Female/Transgender
(6)	Address:
	(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)
	
	(c) Period since when residing at current address
(7)	Educational Status (please tick as applicable)
	(i) Post Graduate
	(ii) Graduate
	(iii) Diploma
	(iv) Higher Secondary
	(v) High School
	(vi) Middle
	(vii) Primary
	(viii) Non-literate
(8)	Occupation

(9)

(10)

(11)

Identification marks (i)

Period since when disabled: From Birth//since year ___

Nature of disability:

(ii) _____

(12)	(ii) If yes, details:	tificate of disability in the past _ yes/no
	(a) Authority to whom and district (b) Result of application	in which applied
(13)	Have you ever been issued a certificate a close a true copy.	of disability in the past? If yes, please
Declarat knowled	tion: I hereby declare that all particular ge and belief, and no material informa	rs stated above are true to the best of my ation has been concealed or misstated. I d in the application, I shall be liable to
	e of any benefits derived and other action	
Date :		(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)
	ace:	
	nclosures: Proof of residence (Please tick as applicab	n]e)
(8	a) ration card,	ic).
•	b) voter identity card, c) driving license,	
(c	d) bank passbook,	
	e) PAN card, f) passport,	
(§	g) telephone, electricity, water and any the applicant,	other utility bill indicating the address of
(1	 a certificate of residence issued by board, any gazetted officer, or the 	a Panchayat, municipality, cantonment concerned Patwari or Head Master of a
mentally	Government school, se of an inmate of a residential institution ill, and other disability, a certificate of release wo recent passport size photographs	on for persons with disabilities, destitute, residence from head of such institution.
	(For office us	ee only)
Date: Place:	,	
Place:		Signature of issuing authority Stamp
	Form-V Certificate of D	
(In case	s of amputation or complete permanent p of blindne	paralysis of limbs or dwarfism and in case ess)
	[See rule 1 (Name and Address of the Medical Au	
		Recent passport size attested
		photograph
		(Showing face only) of the
		person with disability.
Certifica		Date: xamined Shri/Smt./Kum
	son/wife/daughter of Shri	Date of Birth
(DD/MM No.	M/YY) Age years, manager resident of Hou	ale/female registration use No Ward/Village/Street
	Post Office L	District,
	hotograph is affixed above, and am satist he is a case of:	fied that:

• dv	comotor disability varfism								
	indness	4 3							
	(Please tick as applicable) (B) the diagnosis in his/her case is								
			 ne	rcent (in words) permanent					
				part of body) as per					
guidelines	s (number	and date of issue	e of the guidelin	les to be specified).					
	e applicant has sub								
			Γ,	= 44 0 14 11 1					
INa	ature of Document	Date of Issue		Details of authority issuing					
				certificate					
		(S:	ignature and Se	eal of Authorised Signatory of					
				notified Medical Authority)					
Cianoture	/+hiimh								
Signature	n of the								
person i									
favour									
	bility is								
issued									
	,								
		Form ·							
		Certificate of							
	(In cases of multip							
	/3T 1 A 1.1	[See rule							
	(Name and Addres	s of the Medical	Authority issum						
				Recent passport size attested					
				photograph					
				(Showing face only)					
				of the person with					
				disability.					
Certificate			Date:						
Th	is is to certify that	we have carefull	ly examined Sh						
	son/wif	fe/daughter of S	hri	Date of Birth					
(DD/MM/	'YY) Age	years, male	female	Registration No.					
permaner	it resident of House	e No.	Ward/villa	ge/Street Post					
	District _ d am satisfied that:	Siaic	,	whose photograph is affixed					
•		ultiple Disability	7 His/her ext	ent of permanent physical					
impairme	nt/disability has bee	en evaluated as p	er guidelines (number and date of					
issue of	the guidelines to be	specified) for the	he disabilities	ticked below, and is shown					
	ne relevant disability			<u> </u>					
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Permanent physical					
		part of		impairment/mental					
		body		disability (in %)					
1	7								
1.	Locomotor disabilit								
2.	Muscular Dystroph	ly							
3.	Leprosy cured Dwarfism								
<u>4.</u> 5.	Cerebral Palsy			+					
6.	Acid attack Victim								
7.	Low vision	#		+					

8.	Blindness	#
9.	Deaf	£
10.	Hard of Hearing	£
11.	Speech and	
	Language disability	
12.	Intellectual Disability	
13.	Specific Learning	
	Disability	
14.	Autism Spectrum	
	Disorder	
15.	Mental illness	
16.	Chronic Neurological	
	Conditions	
17.	Multiple sclerosis	
18.	Parkinson's disease	
19.	Haemophilia	
20.	Thalassemia	
21.	Sickle Cell disease	

(B)	In	the	light	of	the	above,	his	/her	over	all	permanent	phys	ical	impai	rment	as	per
gui	deli	nes	(n	umb	er and	date	of is	sue o	f the	e guidelines	to be	spec	cified),	is as	follo	ws:

In figures : - ----- percent

In words:-----percent

- 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:
 - (i) not necessary,

or

- (ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till -----
 - (DD) (MM) (YY)
- @ e.g. Left/right/both arms/legs
- # e.g. Single eye
- £ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name	and	Seal	of	the
		Chairperson				

Signature / thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form - VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No.		Date:	- 1 Ol: / O+ /	/ 17	
This is to certify that I h	nave care	efully examine	ed Shri/Smt./	Kum	Doto of
son/ Birth (DD/MM/YY)	wiie/dat	agnter of Sni	TI	/fomolo	Date of
No r		ngt nt_resident_o	_ years, male,	/ Iciliale _	Word /Village /Street
Post Office _	Jermanei	District	i ilouse no.	State	waru, village, Street
whose photograph is	offived (District	om entisfied	Statt _ that he	/she is a case of
					ysical impairment/
disability has been eval	saviiity.	ner midelin	es (num	iliage pi	date of issue of the
guidelines to be specified					
S. No Disability	j aliu is s	Affected			nanent physical
3. No Disability		part of			airment/mental
		body		_	bility (in %)
1. Locomotor dis	ahility	@.		uisai	Jiiity (III 70)
2. Muscular Dys		ш			
3. Leprosy cured					
4. Cerebral Palsy					
5. Acid attack Vi	.ctim				
6. Low vision		#			
7. Deaf		€			
8. Hard of Hearin		€			
9. Speech					
Language disa					
10. Intellectual Di					
11. Specific L					
Disability					
12. Autism Sp	ectrum				
Disorder					
13. Mental illness					
14. Chronic Neur	ological				
Conditions					
15. Multiple sclere					
16. Parkinson's di	isease				
17. Haemophilia					
18. Thalassemia					
19. Sickle Cell dis	ease				
Please strike out the disa	abilities v	which are not	applicable)		
2. The above condition	is prog	ressive/non-p	orogressive/lik	ely to in	nprove/not likely to
improve.	1 0	, 1	,	3	1 , 3
3. Reassessment of disab	ility is:				
(i) not necessary, or	3				
(ii) is recommended/aft	ter	years		months,	and therefore this
certificate shall be valid t					
a - eg. Left/Right/both a	rms/legs	3			
# - eg. Single eye/both ey	res .				
€ - eg. Left/Right/both ea	ars				
4. The applicant has sub		e following do	cument as pr	oof of resi	dence:-
Nature of document		te of issue			of authority issuing
				certificat	te
	•	(Author	rised Signator	y of notifie	ed Medical Authority)
		,	0 :		(Name and Seal)
					, ,

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

FORM - VIII

[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability] [See rule 18 (4)] Dated: No. To, (Name and address of applicant for Certificate of Disability) Sub: Rejection of Application for Certificate of Disability Sir/ Madam, Please refer to your application dated_____ for issue of a Certificate of Disability for the following disability: Pursuant to the above application, you have been examined by the undersigned/ Medical Authority on_____, and I regret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible to issue a Certificate of Disability in your favour: (i) (ii) (iii) 3. In case you are aggrieved by the rejection of your application, you may represent _____, requesting for review of this decision. Yours faithfully, (Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)